प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,

पंचकूला।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य

यादी क्रमांक :– 24/21–2011 सी05(4)
दिनांक, पंचकूला। 9/8/18

विषयः– **राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो की वर्ष 2017–18 की गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भेजी जाती जिस कारण कई महत्वपूर्ण मामलें जैसे कि extension in services/senior scale /selection grade एवं promotion में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसलिये आप अपने अधीनस्थ कार्यरत असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो की वर्ष 2017–18 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में विभाग को भिजवाये:–

1. सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके कालेज में कार्यरत असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो की गोपनीय रिपोर्ट परीक्षा परिणाम सहित 31 अगस्त 2018 तक अवश्यमेव निदेशालय में भेजे। अगर गोपनीय रिपोर्ट उक्त समय पर प्राप्त नही हुई तो उसके लिये प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होगें।
2. असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ट पर असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखकर लिखी जायें। विशेष तौर से सत्यनिष्ठा बारे टिप्पणी के सम्बन्ध में कुछ प्राचार्य सत्यनिष्ठा के कालम में Satisfactory/ Average या ऐसे शब्द जो सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित नहीं है लिखते है जोकि हिदायतों के विरूद्ध हैं। इस बारे स्पष्ट रूप से असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर की सत्यनिष्ठा बारे टिप्पणी अंकित करें। यदि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर की सत्यनिष्ठा बारे कोई विपरीत टिप्पणी दीं जाती है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज भी गोपनीय रिपोर्टस के साथ लगायें।
4. प्राचार्य/रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीनस्थ यदि कोई कर्मचारी उनका सगा–सम्बन्धी कार्यरत है तो वह उनकी गोपनीय रिपोर्ट में overall ग्रेडिग (रिपोर्टिंग) लिखने के लिये प्राचार्य सक्षम नही है। इन परिस्थितियों में उनके Self appraisal में उनकी सत्यनिष्ठा तथा Vigilance inquiry/criminal case pending नही है, बारे सत्यापित रिपोर्ट अंकित करते हुये उनकी गोपनीय रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।
5. प्राचार्य के सेवानिवृत होने के कारण अगर गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय द्वारा लिखी जानी है तो असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा भरे गये सैल्फ अप्रेजल प्रोफार्मा में सत्यनिष्ठा का कालम महाविद्यालय के कार्यालय रिकार्ड के आधार पर वर्तमान प्राचार्य द्वारा भर कर भेजा जाये तथा सत्यनिष्ठा का कालम अधूरा न छोड़ा जायें।
6. असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरो द्वारा भरे गये परीक्षा परिणामों को रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित करके प्राचार्य प्रतिहस्ताक्षर करें एवं परीक्षा परिणामों की विश्वविद्यालय की पास प्रतिशत तथा महाविद्यालय की प्रतिशत का अन्तर अवश्य लिखी जायें। यदि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर की पास प्रतिशत विश्वविद्यालय से कम है और

प्राचार्य इस बात से सहमत हैं कि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर का इसमें कोई दोष नहीं हैं तो इस सबंध में पूरा विवरण अंकित करते हुए टिप्पणी दें।

7. असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफैसर शिक्षा सत्र के दौरान 30 जनू से पूर्व तीन माह तक जिस महाविद्यालय में नियमित या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है गोपनीय रिपोर्ट उसी महाविद्यालय के प्राचार्य (जिस प्राचार्य की देख रेख में कार्य किया गया हो) द्वारा लिखी जायें।

8. **गोपनीय रिपोर्ट के सभी कालमों को पूर्ण करके रिपोर्टिंग अधिकारी अपना नाम एवं तिथि स्पष्ट तौर से अंकित करें।**

9. गोपनीय रिपोर्ट के साथ भेजे जाने वाले Forwarding letter पर प्राचार्य द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि उनके महाविद्यालय में कितने असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत है तथा कोई ए0सी0आर0 भेजी जानी शेष नही है। यदि ऐसी कोई ए0सी0आर0 लंबित रखी जाती है तो उनका पूर्ण विवरण देते हुये कारण स्पष्ट किया जाये।

10. प्राचार्य द्वारा यह भी सत्यापित किया जाये कि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफैसर के विरूद्ध Vigilance inquiry/criminal case pending नही है।

उपरोक्त अंकित हिदायतों को ध्यान में रखकर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निर्धारित अवधि तक निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें।

Anjoo
उप-निदेशक-V
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम
दिनांक पचंकूला 9/8/18

1. रजिस्ट्रार कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।
2. रजिस्ट्रार महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. रजिस्ट्रार सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा, जंटपाली, जिला महेन्द्रगढ।
4. रजिस्ट्रार, इन्दिरा गांधी युनिवर्सिटी मीरपुर, रेवाडी।
5. रजिस्ट्रार चौधरी बंसी लाल युनिवर्सिटी भिवानी।
6. रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह युनिवर्सिटी जीन्द।
7. डी0पी0आई0 यू0टी0 (कालेज) चण्डीगढ।

Anjoo
उप-निदेशक-V
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।